पत्रांक–अ०स०क०–06 ख–प्रो०–06 / 2024................... /

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

डॉ० अमीर आफाक अहमद फैजी
विशेष सचिव–सह–निदेशक

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव
शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना

पटना, दिनांक ....

विषयः– बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (माध्यमिक), पटना से मैट्रिक में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, इसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी) / भाषाई अल्पसंख्यक (बंग्ला) के छात्र / छात्राओं को वित्तीय वर्ष 2026–27 में मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजनान्तर्गत प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु शिक्षा विभाग को बजट उपावंटन के संबंध में ।

प्रसंगः– निदेशक (मा०शि०), शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–692, दिनांक–12.05.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007–08 से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से 10वीं (मैट्रिक) में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्र / छात्राओं के प्रोत्साहन हेतु विभाग द्वारा प्रत्येक योग्य अल्पसंख्यक छात्र / छात्रा को एक मुश्त ₹10,000.00 (रुपये दस हजार) प्रोत्साहन के रूप में दी जाती रही है। विभागीय सकंल्प संख्या–1715, दिनांक–14.09.2020 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2020–21 से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से केवल 10वीं (मैट्रिक) में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्र / छात्राओं हेतु प्रोत्साहन राशि का वितरण शिक्षा विभाग द्वारा DBT के माध्यम से कराई जाएगी।

2. मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से मैट्रिक में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण 56,435 अल्पसंख्यक (भाषाई अल्पसंख्यक सहित–मैट्रिक में बंग्ला एक विषय) छात्र / छात्राओं को ₹10,000.00 (दस हजार रुपये) प्रति छात्र / छात्रा की दर से कुल राशि ₹56,43,50,000 / – (छप्पन करोड़ तैतालिस लाख पचास हजार रुपये) मात्र की राशि शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा अधियाचित की गई है। प्रोत्साहन हेतु राशि आवंटित की जाती है जिसकी विवरणी निम्नवत् है :–

क्र०	मुख्यमंत्री बालक / बालिका प्रोत्साहन योजना	छात्र / छात्राओं की सं०	अधियाचित राशि (₹10,000.00 की दर से)	आवंटित की जाने वाली शेष कुल राशि
1	2026 में मैट्रिक में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्र / छात्राओं हेतु स्वीकृत की जाने वाली राशि	**56,435**	₹56,43,50,000 / –(छप्पन करोड़ तैतालिस लाख पचास हजार रुपये)	₹33,00,00,000.00 (तैतिस करोड़ रुपये)

3. उक्त राशि का व्यय एवं भुगतान करने हेतु राशि का आवंटन शिक्षा विभाग के पत्रांक–692, दिनांक–12.05.2026 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026–2027 में प्राप्त उपबंधित राशि से की जा रही है।

(कृ०पृ०उ०)

4 उपर्युक्त स्वीकृत राशि राज्य स्कीम बजट मुख्य शीर्ष 2202–सामान्य शिक्षा उप मुख्य शीर्ष माध्यमिक शिक्षा लघु शीर्ष 107–छात्रवृत्तियाँ मांग संख्या–30, उप शीर्ष–0109–मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्सा योजना विपत्र कोड 30–2202021070109 विषय शीर्ष–34 छात्रवृत्ति/वजीफा, विषयशीर्ष–02–प्रोत्साहन अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय हेतु शिक्षा विभाग द्वारा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नामित होंगे।

6. यह राशि बिहार के स्थायी निवासी अल्पसंख्यक (भाषाई अल्पसंख्यक सहित–बंग्ला) छात्र/छात्राओं को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्णता के आधार पर संबंधित छात्र/छात्राओं को उपलब्ध कराया जाएगा।

7. प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं तथा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (माध्यमिक) पटना द्वारा मैट्रिक में प्रथम श्रेणी से उर्त्तीण बंग्ला भाषा एक विषय रखकर भाषाई अल्पसंख्यक के छात्र/छात्राओं का आवश्यक वांछित प्रमाण–पत्रों यथा, अंक पत्र, आवासीय प्रमाण–पत्र, बैंक पासबुक इत्यादि की छायाप्रति की आवश्यक जाँचोपरांत उचित पहचान कर एक मुश्त राशि रु० 10,000 (दस हजार रुपये) मात्र का भुगतान DBT के माध्यम से शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी लाभुकों के बैंक खाता में अंतरित करना सुनिश्चित करेंगे।

8. अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि अन्य विभागों के समरूप योजनाओं से दोहरा छात्रवृत्ति लाभ या पुनरावृत्ति न हो। उपरोक्त सूची में ऐसे छात्र/छात्राएँ अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं एवं भाषाई अल्पसंख्यक के छात्र/छात्राओं दोनों श्रेणी में Common हों ऐसी परिस्थिति में एक ही बार प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा।

9. राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.1998, वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक–3808, दिनांक–02.06.2017 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निर्देशों के आलोक में करेंगे और साथ ही सुनिश्चित करेंगे कि निर्धारित अर्हत्ता को पूर्ण करने वाले अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को ही प्रोत्साहन योजना का लाभ दिया जाय।

10. उक्त प्रस्ताव एवं प्रारुप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार से सहमति प्राप्त है।

11. उक्त प्रस्ताव एवं प्रारुप पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/–
विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक :– अ०स०क०–06 ख–प्रो०–06/2024............................/पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), वीरचंद पटेलपथ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
विशेष सचिव–सह–निदेशक

ई-मेल

ज्ञापांक :– अ०स०क०–06 ख–प्रो०–06/2024............................/पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
विशेष सचिव–सह–निदेशक

ई-मेल

ज्ञापांक :– अ०स०क०–06 ख–प्रो०–06/2024............................/पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– सभी उपनिदेशक/सहायक निदेशक/जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
विशेष सचिव–सह–निदेशक

(कृ०पृ०उ०)

ज्ञापांक :– अ०स०क०–06 ख–प्रो०–06 / 2024............................/ पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग / अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह० / –

विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक :– अ०स०क०–06 ख–प्रो०–06 / 2024 169 / पटना, दिनांक 22/06/24

प्रतिलिपि:– सचिव के प्रधान आप्त सचिव / बजट शाखा–4 / विभागीय आई०टी० मैनेजर / विभागीय जन सम्पर्क पदाधिकारी / गार्ड फाईल में संधारण हेतु, निर्गत शाखा, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/6

विशेष सचिव–सह–निदेशक